

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/बैसिक-04/ 77 /04(2)/से०सं०परि०/2015-16 दिनांक 13 जुलाई, 2015

विज्ञप्ति/सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-2/ 2013-32(01)/2013 देहरादून दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रत्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 यथा संशोधित-2014 में उल्लिखित प्राविधिकानुसार एवं निदेशक, माझिं, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाये-2/ 9909-10/स्था०/2015-16 दिनांक 06 जुलाई, 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा 16(1)-ऐसी महिला शिक्षिकायें जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती हैं इस प्रतिवध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्यस्थल के जनपद में पैंच वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका की वरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक वाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्राथमिक स्तर) को अंकित जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन ₹ क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश खत ही निरस्त समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम-पौड़ी

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती इन्दु पुरोहित	राजप्राधिकी जालू	नारायणबगड़	चमोली	निजी व्यय
2	श्रीमती सुषमा रावत	राजप्राधिकी शिक्षानन्दी	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	औपचारिक

अपर निदेशक (प्राझिं)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

प०स०/बैसिक-04/2266-13 /04(2)/से०सं०परि०/2015-16 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणोपरान्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 - i) पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरांत ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।
 - ii) पति के शासकीय सेवा में होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली संबंधित अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरांत ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।
 - iii) संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्रविष्टि करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पुरितका में घस्ता करना सुनिश्चित करें।
 - iv) पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से परीक्षण कर आश्वस्त हो लें कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद संवर्ग परिवर्तित तो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में संबंधित की पदस्थापना न करते हुए अध्योहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रुद्रप्रयाग जनपद गठन के फलस्वरूप यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अद्याहृत नहीं होगा।
5. उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भांति गम्भीरतापूर्व परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चूक) की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित आप पर निर्धारित किया जायेगा।
6. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा। ₹५५५५०
7. संबंधित सहायक अध्यापिका।
8. कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (प्राझिं) २५।५।१५
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
५५

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 आदेश संख्या / वेसिक-04 / 76 / 04(2) / से०स०परि० / 2015-16 दिनांक 13 जुलाई 2015
विज्ञप्ति/सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-2/ 2013-32(01)/2013 देहरादून दिनांक 21 मई 2013 द्वारा प्रत्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 यथा संशोधित-2014 में उल्लिखित प्राविधिकानुसार एवं निदेशक, मा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक /सेवाये-2 / 9909-10 / स्था०/2015-16 दिनांक 06 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा 16(1)-ऐसी महिला शिक्षिकायें जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना वाहती हैं इस प्रतिबंध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्यरथल के जनपद में पौच्छ वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की वरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्राथमिक स्तर) को अकित जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन V क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निररत समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यव देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम-टिहरी

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती ललिता पवार	रामप्राणिं कलोगी	नीगांव	उत्तरकाशी	निजी व्यय
2	श्रीमती निमेला भद्री	रामप्राणिं न्यूसारी	दुण्डा	उत्तरकाशी	निजी व्यय
3	श्रीमती यास्मीन	रामप्राणिं जयकल्पी	कण्ठप्रयाग	चमोली	निजी व्यय

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

प०स०/ वेसिक-04/ 2198-2205
 प०स०/ वेसिक-04(2) / से०स०परि० / 2015-16 दिनांक उत्तरांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणपरोन्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 - i) पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरात ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।
 - ii) पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली संबंधित अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरात ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।
 - iii) संबंधित अध्यापिका की सेवा परिवर्तन की प्रविष्टि करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पुस्तिका में चयन करना सुनिश्चित करें।
 - iv) पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा परिवर्तन के परीक्षण कर आश्वरत हो लें कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद संवर्ग परिवर्तित तो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की रिथ्ति में संबंधित की पदस्थापना न करते हुए अद्योहसताक्षरी को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रुद्रप्रयाग जनपद गठन के फलस्वरूप यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अध्याहृत नहीं होगा।
5. उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भाति गंभीरतापूर्व परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चूक) की रिथ्ति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आप पर निर्धारित किया जायेगा।
6. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा। *(चूक)*
7. संबंधित सहायक अध्यापिका।
8. कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौडी।

आदेश संख्या/वेसिक-04/ 74 /04(2)/से०सं०परि०/2015-16 दिनांक 13 जुलाई, 2015
विज्ञप्ति/सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-2/ 2013-32(01)/2013 देहरादून दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 यथा संशोधित-2014 में उल्लिखित प्राविधिकानुसार एवं निदेशक, मा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाये-2/ 9909-10/स्था०/2015-16 दिनांक 06 जुलाई, 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा 16(1)-ऐसी महिला शिक्षिकायें जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती है इस प्रतिबंध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्यस्थल के जनपद में पौंच वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की वरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्राथमिक रूप से) को अकित जनपद में उपलब्ध रित पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन Y क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रत्युत्त प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश स्वतं ही निरस्त समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम—रुद्रप्रयाग

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनुजा द्विवेदी	रा०प्रा०वि० नगली	गैरसैण	चमोती	निजी व्यय
2	श्रीमती रेखा जोशी	रा०प्रा०वि० गढ़ासु	धाट	चमोती	निजी व्यय

अपर निदेशक (ग्रा०शि०)
 गढ़वाल मण्डल पौडी।

पु०स०/वेसिक-04/ 2182-89

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणापरीक्षण अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 - i) पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरांत ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।
 - ii) पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली संबंधित अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरांत ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।
 - iii) संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्राविष्टि करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका में चय्या करना सुनिश्चित करें।
 - iv) पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से परीक्षण कर आश्वस्त हो लें कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद संवर्ग परिवर्तित हो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में संबंधित वी पदस्थापना न करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को तत्काल सुधित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रुद्रप्रयाग जनपद गठन के फलस्वरूप यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अध्याहृत नहीं होगा।
5. उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भाति गमीरतापूर्व परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चूक) की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप पर निर्धारित किया जायेगा।
6. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा। *—४८८—*
7. संबंधित सहायक अध्यापिका।
8. कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (ग्रा०शि०)
 गढ़वाल मण्डल पौडी।
 (८४)

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / वेसिक-04 / **75**

/04(2) / से०स०परि०/2015-16 दिनांक **13** जुलाई, 2015

विज्ञप्ति / सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-2/2013-32(01)/2013 देहरादून दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 थथा संबंधित-2014 में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, मांशी०, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्राके /संख्या-2/9909-10 / स्था०/2015-16 दिनांक 06 जुलाई, 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा 16(1)-एसी महिल शिक्षिकाये जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अध्यवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती है इस प्रतिबद्ध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कालस्थल के जनपद में पौंछ वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पद उपलब्धत पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार घट दी जायेगी। सम्बंधित अध्यापक /अध्यापिका की वरिचता संवर्ग परिवर्तन /स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्राथमिक स्तर) को अंकित जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन Y क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश खत: ही निरल्ल समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रत्यावर्तित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम—हरिद्वार

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती इन्दु ध्यानी	राजप्राथिं० उदयरामपुर	दृष्टिकृत	पौड़ी	निजी व्यय
2	श्रीमती नीलम नीटियाल	राजप्राथिं० बिटासनी	धमकेश्वर	पौड़ी	निजी व्यय
3	श्री प्रभोद कुमार	राजप्राथिं० मरडा बुरसाली	एकेश्वर	पौड़ी	आपदानिधि०
4	श्रीमती ऊषा चौहान	राजप्राथिं० लनकिला	बीरोखाल	पौड़ी	निजी व्यय
5	श्रीमती कमलेश नीरो	राजप्राथिं० वैटी	नारायणबगड़	धमोली	निजी व्यय
6	श्रीमती सरस्वती कुलाश्री	राजप्राथिं० तिमली	बीरोखाल	पौड़ी	निजी व्यय
7	श्रीमती रेखा शर्मा	राजप्राथिं० पाली	बीरोखाल	पौड़ी	निजी व्यय
8	श्रीमती कुमुलता धपलियाल	राजप्राथिं० निसर्जी	पाली	पौड़ी	निजी व्यय
9	श्रीमती बीना ढाकुर	राजप्राथिं० मरेटा	एकेश्वर	पौड़ी	निजी व्यय
10	श्रीमती सुनीता	राजप्राथिं० कुमाल्ही	रिखांगीखाल	पौड़ी	आपदानिधि०

अपर निदेशक (प्रांशी०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

प०स०/वेसिक-04 / **2190-97** /04(2) / से०स०परि०/2015-16 दिनांक उक्ताकित।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निदेशों का परीक्षणोपरोन्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 - i) पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरांत ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।
 - ii) पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के दिवारीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरांत ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।
 - iii) संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्रविष्टि करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पुरितका में चयन करना सुनिश्चित करें।
 - iv) पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से परीक्षण कर आशंकन हो ते कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्ण में जनपद संवर्ग परिवर्तन तो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की रिक्ति में संबंधित की पदस्थापना न करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को तत्काल सुचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखा ले कि रुद्रप्रयाग जनपद गठन के कालस्थल यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ हो तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अव्याहृत नहीं होगा।
5. उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भांति गमीरतापूर्ण परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चुक) की रिक्ति में संपूर्ण उत्तराधिकार आप पर निर्धारित किया जायेगा।
6. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
7. संबंधित सहायक अध्यापिका।
8. कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (प्रांशी०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 आदेश संख्या / बेसिक-04 / ८४ / ०४(२) / सं०सं०परि० / २०१५-१६ दिनांक १३ जुलाई, २०१५
विज्ञप्ति / सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-२/ २०१३-३२(०१)/२०१३ देहरादून दिनांक २१ मई, २०१३ द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-२०१३ यथा संशोधित-२०१४ में उल्लिखित प्राविधिकानुसार एवं निदेशक, मांशिं, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक / सेवाये-२/ ९९०९-१०/ स्था०/ २०१५-१६ दिनांक ०६ जुलाई, २०१५ के अनुषालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा १६(१)-ऐसी महिला शिक्षिकायें जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती है इस प्रतिबद्ध के साथ की सबैति शिक्षिका ने वर्तमान कार्यस्थल के जनपद में पौंच वर्ष सेवा पूर्ण कर ली ही उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिका की वरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन / स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्राथमिक रूप से) को अकित जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन ₹५ क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो सबैति शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सबैति के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यवहार देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम-उत्तरकाशी

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
१	श्रीमती जशोदा गुरुमांझी	रा०प्रा०पि० विद्याकोटी	श्रीलंगार	टिहरी गढ़वाल	निम्नी व्यय
२	श्रीमती अनौला चौहान	रा०प्रा०पि० भण्डारी	श्रीलंगार	टिहरी गढ़वाल	निम्नी व्यय
३	श्रीमती सनीला चौहान	रा०प्रा०पि० मीणा	नारायणबागड़	चमोली	निम्नी व्यय

अपर निदेशक (प्रांशि०)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

प०स० / बेसिक-०४ / २२१४-२१ / ०४(२) / सं०सं०परि० / २०१५-१६ दिनांक उपलब्धित।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. सबैति मुख्य शिक्षा अधिकारी।
४. सबैति जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणोपरोन्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 - i) पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरांत ही सबैति अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।
 - ii) पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली सबैति अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के छिपायी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरांत ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।
 - iii) सबैति अध्यापिका की सेवा पंजिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्रविष्टि करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति सबैति अध्यापिका की सेवा पुरितका में चस्पा करना सुनिश्चित करें।
 - iv) पदस्थापना करने से पूर्व सबैति अध्यापिका की सेवा पंजिका से परीक्षण कर आश्वर्त हो लें कि सबैति अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद संवर्ग परिवर्तित हो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में सबैति की पदस्थापना न करते हुए अद्योहस्ताङ्की को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रुद्रप्रयाग जनपद गठन के फलस्वरूप यदि सबैति अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की सबैति अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अध्याहत नहीं होगा।
५. उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भांति गंभीरतापूर्व परीक्षण करते हुए सबैति अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (धूक) की स्थिति में संपूर्ण उत्तरादायित्व आप पर निर्धारित किया जायेगा।
६. सबैति खण्ड शिक्षा अधिकारी।
७. सबैति सहायक अध्यापिका।
८. कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (प्रांशि०)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/वेसिक-04/ ७४ /०४(२)/से०सं०परि०/2015-16 दिनांक १३ जुलाई, 2015

विज्ञप्ति/सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-2/ 2013-32(01)/2013 देहरादून दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 यथा संशोधित-2014 में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, मा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाये-2/ 9909-10/स्था०/2015-16 दिनांक ०६ जुलाई, 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा १६(1)-ऐसी महिला शिक्षिकायें जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती हैं इस प्रतिबंध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्यस्थल के जनपद में पाँच वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की विरुद्धता संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्राथमिक रत्त) को अकित जनपद में उपलब्ध रित पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन Y क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रत्युत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम-रुद्रप्रयाग

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
१	श्रीमती अंजु द्विजयाण	रा०प्रा०शि० नगली	गैरीण	धनोली	निजी व्यय
२	श्रीमती रेखा जोशी	रा०प्रा०शि० मडासु	चाट	धनोली	निजी व्यय

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

प०स०/वेसिक-04/ २१८२-८१ प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- संबंधित मूल्य शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणापरान्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 - पति के गृह जनपद के ग्रामण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा रथायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरात ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।
 - पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली संबंधित अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरात ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।
 - संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्राविष्टि करने के उपरात उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पुरितका में चय्या करना सुनिश्चित करें।
 - पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से परीक्षण कर आश्वस्त हो लें कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद संवर्ग परिवर्तित तो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की रिथ्ति में संबंधित की पदस्थापना न करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को तत्काल सुचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रुद्रप्रयाग जनपद गठन के फलस्वरूप यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अध्यहृत नहीं होगा।
- उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भाति गमीरतापूर्व परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चूक) की रिथ्ति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप पर निर्धारित किया जायेगा।
- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा।
- संबंधित सहायक अध्यापिका।
- कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
(५४)

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / वेसिक-04 / 73 / 04(2) / से०सं०परि० / 2015-16 दिनांक 13 जुलाई, 2015

विज्ञप्ति / सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, प्रारम्भिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A) / XXIV-2 / 2013-32 (01) / 2013 देहरादून दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 यथा संशोधित-2014 में उल्लिखित प्राधिकारानुसार एवं निदेशक, माओशी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाये-2/9909-10/स्था०/2015-16 दिनांक 06 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा 16(1)-ऐसी महिला शिक्षिकायें जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती है इस प्रतिवेदन के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्यस्थल के जनपद में पैदी वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पट तपतलबता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्मुर्खी सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की वरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कर्निष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्रारम्भिक स्तर) को अकित जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन ॥ क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य इषाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य प्राया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निररत समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम-देहरादून

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यस्थल विद्यालय का नाम	विकासकारी	जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सरला कोठारी	राजप्राधिक सुवेल	कर्तृतम	लंदप्रदेश	निजी व्यय
2	श्रीमती राजेश्वरी असपाल	राजप्राधिक मैलुडा	मट्टाई	उत्तरकाशी	निजी व्यय
3	श्रीमती सुनीता भद्राई	राजप्राधिक बड़ी नारी	विद्यालयीनी	उत्तरकाशी	निजी व्यय
4	श्रीमती गृजु राजप्रदूत	राजप्राधिक गृजु नारी	दुमड़ाड़ा	पौड़ी	निजी व्यय
5	श्रीमती नीलन कुमारी	राजप्राधिक दा० कै हेली	जीनगुड़ा	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
6	श्रीमती कृष्ण गुप्ताई	राजप्राधिक देवका जारी	देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
7	श्रीमती बृंदाई पाल	राजप्राधिक ढालपाला	नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
8	श्रीमती निशा किशदान	राजप्राधिक धारी	नीरापद	उत्तरकाशी	निजी व्यय
9	श्रीमती विजया बिष्ट	राजप्राधिक विरकोटी	काणप्रयाग	विरकोटी	निजी व्यय
10	श्रीमती कविता किंद्रेई	राजप्राधिक लुदगढ़	कर्तृतम	लंदप्रदेश	निजी व्यय
11	श्रीमती रेता साका	राजप्राधिक कोटी	खिलू	पौड़ी	निजी व्यय
12	श्रीमती रुजना नेही	राजप्राधिक कंवर्स	पौड़ी	पौड़ी	निजी व्यय
13	श्रीमती शम्मी भारद्वाज	राजप्राधिक लुमटा	नीरापद	उत्तरकाशी	निजी व्यय
14	श्रीमती पूलम रानी	राजप्राधिक पुरस्तीलमीर	धब्बा	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
15	श्रीमती सरोजनी भट्ट	राजप्राधिक अमाला	नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
16	श्रीमती सीमा पाल	राजप्राधिक लोयल	नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
17	श्रीमती लता रानी	राजप्राधिक जैम	जीनपुर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
18	श्रीमती रेता देवी	राजप्राधिक देवी	पुरीता	उत्तरकाशी	अधिकारी
19	श्रीमती हर्सीना जैदी	राजप्राधिक पाली	नीरापद	उत्तरकाशी	निजी व्यय
20	श्रीमती सुवर्मा नेही	राजप्राधिक ढाली	यमकंद्यर	पौड़ी	निजी व्यय
21	श्रीमती रोमा मन्दसाल	राजप्राधिक बर्मटी	पौड़ी	पौड़ी	निजी व्यय
22	श्रीमती अल्पांग पन्ना	राजप्राधिक अल्पांग	दशोली	चमोली	निजी व्यय
23	श्रीमती अनु जौही	राजप्राधिक बैनोली	काणप्रयाग	चमोली	निजी व्यय
24	श्रीमती सनाता घण्टेश्वराल	राजप्राधिक बाड़ा	अगरतलायनि	लंदप्रदेश	निजी व्यय
25	श्रीमती कमला खेड़ा	राजप्राधिक आखोड़खेत	घाट	चमोली	निजी व्यय
26	श्रीमती हेम रत्नुकी	राजप्राधिक नगरकोटियाला	नारायणबन्द	चमोली	निजी व्यय
27	श्रीमती जानी कुडोला	राजप्राधिक हिण्डीलमालाल	नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
28	श्रीमती दोपा रानी	राजप्राधिक टिकरी	जीनपुर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
29	श्रीमती तुष्मा चमी	राजप्राधिक कुदीक	जीनपुर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
30	श्रीमती सुनीता कछुआरी	राजप्राधिक बरनाली	धीलधार	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
31	श्रीमती ज्ञानदेव नहन्द	राजप्राधिक करनाली	जीनाव	उत्तरकाशी	निजी व्यय
32	श्रीमती अमीता राजा	राजप्राधिक मातली	दुपड़ा	उत्तरकाशी	निजी व्यय
33	श्रीमती अजना उमियाल	राजप्राधिक नारिल	देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
34	श्रीमती नीना पिल्हियाल	राजप्राधिक मुनि जी रोटी	नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
35	श्रीमती शिल्पी नीडियान	राजप्राधिक दरनीला	जग्गाली	सर्वदायग	निजी व्यय

५८१ ५८२

36	श्रीमती ममता योशी	राजप्राप्ति श्रीकोटे	देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	निझी व्यय
37	श्रीमती विजय लखणी युम्है	राजप्राप्ति श्रीगंगाड़ी	लखड़नगर	टिहरी गढ़वाल	निझी व्यय
38	श्रीमती रुक्मिनी	राजप्राप्ति अरोंडी	जोशीमठ	चमोली	निझी व्यय
39	श्रीमती अनीता चौहान	राजप्राप्ति गढ़ीली	गैरहीं	चमोली	निझी व्यय
40	श्रीमती लविता खाली	राजप्राप्ति सुभाषनगर	दशोली	चमोली	निझी व्यय

अपर निदेशक (प्रांशु)

गढ़वाल मण्डल पीड़ी।

पृ०स०/बेसिक-०५/२८४-४।/०४(२)/स०स०परि०/२०१५-१६ दिनांक उक्ताक्षित।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणोपरान्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 - i) पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरांत ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।
 - ii) पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली संबंधित अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरांत ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।
 - iii) संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्राविदित करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पुरितका में घरस्था करना सुनिश्चित करें।
 - iv) पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से परीक्षण कर आवश्यक हो ते कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद, संवर्ग परिवर्तित तो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में संबंधित की पदस्थापना न करते हुए अध्यापिका को टक्काल सुधित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रुद्रप्रयाग जनपद गठन के फलस्वरूप यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अद्याहृत नहीं होगा।
- उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भांति गंभीरतापूर्व परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चूक) की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आप पर निर्धारित किया जायेगा।
5. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्रायोगिक शिक्षा।
7. संबंधित सहायक अध्यापिका।
8. कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (प्रांशु) १३।/१३।

गढ़वाल मण्डल पीड़ी।